न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्याम सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

अपील संख्या 97/2021

1. रामकिशोर पुत्र रामसहाय (फौत)
   1/1 बोदूराम पुत्र स्व. रामकिशोर
   1/2 रामकुंआर पुत्र स्व. रामकिशोर
2. रामगोपाल पुत्र रामसहाय
3. रामूलाल पुत्र रामसहाय
4. भंवरा पुत्र नन्दा (फौत)
   4/1 रामकरण पुत्र स्व. भंवरा
   4/2 छीतर पुत्र स्व. भंवरा
   4/3 सीताराम पुत्र स्व. भंवरा
   4/4 कैलाश पुत्र स्व. भंवरा
5. सुवा पुत्र नन्दा
6. रामसहाय पुत्र नन्दा
7. गंगासहाय पुत्र नन्दा
8. सुखा पुत्र कालू
9. कल्याण पुत्र कालू
10. रेवड पुत्र कालू (फौत)
    10/1 अशोक पुत्र स्व. रेवड
11. रामेश्वर पुत्र सूस्यां
12. भगवान सहाय पुत्र छाजू (फौत)
    12/1 सीताराम पुत्र स्व. भगवान सहाय
    12/2 जगदीश पुत्र स्व. भगवान सहाय
13. मूला पुत्र गणेश
14. श्रवण पुत्र गणेश
15. ग्यारसा पुत्र लक्ष्मीनारायण
16. गंगाराम पुत्र सेडूराम (फौत)
    16/1 जगदीश पुत्र स्व. गंगाराम
17. लल्लूराम पुत्र चौथमल
18. प्यारेलाल पुत्र चौथमल
19. छोटेलाल पुत्र चौथमल
20. राधेश्याम पुत्र चौथमल
21. बाबूलाल पुत्र चौथमल
22. हरसहाय पुत्र सेडू

समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी पातलवास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

..... अपीलार्थीगण

बनाम

1. महादेव पुत्र हरनन्दा (फौत)
   1/1 कैलाश पुत्र स्व. महादेव
   1/2 हनुमान पुत्र स्व. महादेव
2. ग्यारसा पुत्र हरनन्दा
3. भगवानसहाय पुत्र हरनन्दा
4. बद्रीनारायण पुत्र हरनन्दा
5. रेवड पुत्र प्रभु

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

6. नानगा पुत्र प्रभु
समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम पातलवास, तहसील जमवारागढ, जिला जयपुर।
7. तहसीलदार जमवारागढ, तहसील जमवारागढ, जिला जयपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 16.07.2010 व 14.06.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर प्रार्थना पत्र संख्या 102/2010 उनवान महादेव व अन्य बनाम रामकिशोर व अन्य अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

कृष्ण शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण
सुबोध जैन एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय दिनांकः 07/1/2022

:–निर्णय–:

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 102/2010 बउनवानी महादेव व अन्य बनाम रामकिशोर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.07.2010 व 14.06.2017 के विरूद्व अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 23 लगायत 26 की संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जे काश्त की पैतृक सहकृषि भूमि खसरा नंबर 172 रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा ग्राम पातलवास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित है। आराजी खसरा नंबर 172 रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 23 से 26 का वास्तविक एवम् भौतिक कब्जा काश्त बतौर राजस्व रिकॉर्डेड नक्शे में तरमीमशुदा सहकृषक एवम् बतौर हकखातेदार चला आ रहा है तथा मौके पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 23 से 26 उक्त खसरा नंबर 172 की सम्पूर्ण भूमि 19 बीघा 04 बिस्वा भूमि पर साधिकार बतौर सहकृषक हक खातेदार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है एवं अपना राजस्व लगान भी स्वयं प्रार्थीगण ही जमा कराते है। वादग्रस्त भूमि के खसरा नंबर 172 के साबिक खसरा नंबर 457 मि. रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 300/1,2 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा, 298मि. रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 297मि. रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा रहे है तथा उक्त साबिक नंबरान् की भूमि प्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय हरनन्दा पुत्र श्योला के पुराने कब्जे काश्त व हक अधिकार के मुताबिक खातेदारी में दर्ज कर जमाबंदी खतौनी हरनन्दा पुत्र श्योला के नाम से जारी की गई। राजस्थान होल्डिंगस एक्ट के तहत् एकीकरण की कार्यवाही की गई जिसके अन्तर्गत तथा दौराने एकीकरण साबिक खसरा नंबर 457 मि. रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

2 बीघा 15 बिस्वा, 300/1.2 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा, 298 मि. रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 297मि. रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 172 बनाया जाकर जमाबंदी खतौनी प्रार्थीगण के हकपूर्व अधिकारी हरनन्दा पुत्र श्योला के नाम बतौर खातेदारी जारी की गई, राजस्व नक्शा तरमीम कर जारी किया गया उसी समय साबिक 457 मि. रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा भूमि के नवीन खसरा नंबर 177 बनाया जाकर उसी अनुसार राजस्व नक्शा तरमीम करते हुए, जमाबंदी खतौनी अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 22 के हकपूर्व अधिकारी के नाम बतौर खातेदारी जारी किया गया। वादग्रस्त खसरा नंबर 172 रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा भूमि एवं खसरा नंबर 177 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा भूमि के एकीकरण की उक्त कार्यवाही के बाद राजस्व कर्मचारियों के द्वारा फर्जकारी कराते हुए अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 22 के पूर्वज भैसहाय वल्द जैला व नन्दा पुत्र वीना ने प्रार्थीगण के वादग्रस्त खसरा नंबर 172 की 19 बीघा 4 बिस्वा भूमि में से रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि को विधि विरूद्व प्रक्रिया के तहत् कम कराते हुए अपने खसरा नंबर 177 में जुडवा लिया एवं उसके उपरान्त जमाबंदी में रकबा बढाकर दर्ज करा लिया प्रार्थीगण की भूमि की खातेदारी की जमाबंदी में से रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि को कम करा दिया गया जबकि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 23 ता 26 बजमाने पूर्वज हरनन्दा पुत्र श्योला के जीवनकाल से, कदीमी से आज तक भी भूमि खसरा नंबर 172 की कुल भूमि रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर बदस्तूर बतौर राजस्व नक्शे में तरमीमशुदा अनुसार काबिज है एवं अप्रार्थीगण खसरा नंबर 177 के रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा अनुसार भूमि पर काबिज रहते आये है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 22 के पूर्वजों के खातेदारी में वादग्रस्त आराजी की भूमि गलत अंकित हो रखी है जबकि वादग्रस्त भूमि रकबा 2 बीघा 15 भूमि नक्शे में तो प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 172 में तरमीम हो रखा है तथा जमाबंदी में अवैध प्रक्रिया व विधि विरूद्व प्रक्रिया के तहत् अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 22 के खसरा नंबर 177 की जमाबंदी खतौनी में गलत दर्ज चली आ रही है जो अवैध एवं प्रारम्भतः ही शून्य है एवं दुरूस्त व निरस्तनीय है जिसके प्रार्थीगण अधिकारी है। अप्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजीयात से कोई संबंध सरोकार नहीं है किन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को भूमि के कब्जे काश्त से बेखल करने पर आमादा है एवं स्वयं आराजीयात पर कब्जा करने को उतारू है। यदि अप्रार्थीगण को उनके कृत्यों से नहीं रोका गया तो अप्रार्थीगण आराजीयात से प्रार्थीगण को बेदखल कर देगे जिससे प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित हो सकती है। प्रथमदृष्टसा केस एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है। अंत में अनुतोष चाहा कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि आराजी खसरा नंबर 172 की तरमीमशुदा भूमि रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा भूमि में से प्रार्थीगण को बेदखल न करते हुए प्रार्थीगण के कृषि कार्य कब्जे काश्त में बाधा, दखलअंदाजी नहीं करें ऐसा ना तो स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट–सर्वेन्ट इत्यादि से करावे, मौके की यथास्थिति बनाये रखें। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 16.07.2010 को आदेश पारित कर अप्रार्थीगण को आगामी सुनवाई तिथि तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया एवम् दिनांक 14.06.2017 को कैम्प कोर्ट में आदेश पारित करते हुए पूर्व में पारित आदेश दिनांक 16.07.2010 के द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को, मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस तामील नहीं करवाये है एवं ना ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट में आदेश पारित किया है जिस हेतु अपीलान्ट्स को नोटिस या सूचना प्रदान नहीं की गई है। कैम्प कोर्ट में राजीनामा से प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है किन्तु अपीलान्ट्स द्वारा प्रकरण में सहमति प्रदान नहीं की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवम् अपूर्तनीय क्षति हेतु कोई विवेचन नहीं किया है। मूल वाद में आराजीयात की उद्घोषणा होनी है जो गंभीर प्रकृति का प्रकरण है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की गंभीरता पर ध्यान न देकर मात्र ऑर्डरशीट पर आदेश पारित किया है जो विधिक आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश खारिज किये जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अभिभाषक अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र विचाराधीन है जिसमें आराजीयात बाबत निर्णय होना अभी शेष है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के पक्ष में साबित मानकर अपीलान्ट्स को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया जिसके विरूद्व अपीलान्ट्स द्वारा पूर्व में कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलान्ट्स द्वारा एक अपील में अंतरिम अस्थाई आदेश दिनांक 16.07.2010 व अंतिम आदेश दिनांक 14.06.2017 को चुनौती दी गई है जो विधि विरूद्व है एवम् स्वीकार्य नहीं है। अपीलान्ट द्वारा आधारहीन तथ्यों का समावेश करते हुए, अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

4. अभिभाषक अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील मीमों तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान उठाया गया उज्र कि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किये गये है, के निस्तारण हेतु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अप्रार्थी की अनुपस्थिति में एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 16.07.2010 को पारित किया गया एवम् तत्पश्चात् उक्त एकपक्षीय आदेश दिनांक 16.07.2010 को पत्रावली कैम्प न्याय आपके द्वार सामकोटडा में लेते हुए दिनांक 14.06.2017 को आदेश पारित कर वाद के मूल निस्तारण तक कन्फर्म कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2017 को पारित आदेश भी अपीलार्थी/अप्रार्थी की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवम् अपूर्तनीय क्षति के सन्दर्भ में अपना कोई निष्कर्ष विवेचित नहीं किया है जो नितान्त आवश्यक था। उपरोक्त विवेचन अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2017 खारिज किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

किया जाता है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्षकारान् की सुनवाई कर, अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं के सन्दर्भ में विस्तृत आदेश पारित करते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण करें। उभयपक्षकारान् के मध्य अन्य विवाद उत्पन्न न होने की स्थिति को Avoid करने के लिये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 16.07.2010 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनवाई कर निस्तारित किये जाने तक यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 07/1/2022 को लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर